रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2012/ज्येष्ठ 17, 1934

No. 1083] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2012/JYAISTHA 17, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

का.आ. 1303(अ).—केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, यह न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. के. जैन की अध्यक्षता में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है ।

[फा. सं. I. 11034/1/2012-आई. एस.-1]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2012

S.O. 1303(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", consisting of Hon'ble Mr. Justice V.K. Jain, a sitting Judge of the Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam as an 'Unlawful Association'.

[F. No. I. 11034/1/2012-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

2054 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.